N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0043 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 24/02/2025 18:25 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 05/12/2024 Date To (दिनांक तक): 20/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 08:50 बजे Time To (समय तक): 15:30 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 24/02/2025 Time (समय): 17:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 24/02/2025 18:25:02 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH-EAST, 40 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b)Address(पता): NAYAGANV THAKRAN KE PASS, SHRI RAMESHCHAND JI NAGAR KA, KHET, KHANPUR JHALAWAR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MAHAVEER SUMAN

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** KHEMRAJ

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1997 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	LODHA GUDHA,HAL KHANPUR, KHANPUR, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	LODHA GUDHA,HAL KHANPUR, KHANPUR, KHANPUR, JHALAWAR, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SHIVLAL MEENA		पिता:AMAR LAL	1. GRAM KHJOORIKALN,JHALAWAR,RAJ

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		4,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 4,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 05.12.2024 समय 08.50 एएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन पुत्र श्री खेमराज जाति माली उम्र 28 साल निवासी लोढ़ा गुढ़ा हाल खानपुर तहसील खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मय स्वप्रमाणित आधार कार्ड की फोटोप्रति मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सक्षक पेश की। परिवादी श्री महावीर सुमन के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में लिखा होना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है तथा परिवादी श्री महावीर सुमन ने मजमून दरियाफ्त पर बताया कि " मैं लोढ़ा गुढ़ा का रहने वाला हूँ, अभी मैं खानपुर रह रहा हूँ। हमारा मेरे काकाजी श्री राधेश्याम जी से जमीन के मामले में आपसी विवाद चल रहा है। आज से करीब छः माह पहले मेरे काकाजी श्री राधेश्याम जी ने हमारे खिलाफ थाना खानपुर में जमीन के विवाद को लेकर रिपोर्ट करवाई थी, जिसमें श्री शिवलाल हैड साहब ने दोनों पार्टीयों को थाने में बलाया तथा मेरे पिताजी से कार्यवाही नहीं करने की कहकर 15,000रूपये नकद ले लिये। फिर मेरे काकाजी ने हमारे खिलाफ पांच सात दिन पहले फिर झूठी रिपोर्ट कर दी। दिनांक 03.12.2024 को मेरे पास श्री शिवलाल हैड साहब ने फोन कहा कि महावीर तुम्हारी रिपोर्ट हुई है, तुम दोनों बाप बेटे थाने पर आ जाओ, तो मैंने मेरे पिताजी को कहा कि थाने से फोन आ रहा है, थाने पर चलना पड़ेगा, तो मेरे पिताजी ने कहा कि चल दोनों थाने पर चलते है और मैं व मेरे पिताजी दोनों थाने पर जाकर श्री शिवलाल हैड साहब से मिले तो, उन्होने एक कमरे ले जाकर कहा कि तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट हुई है, बोलो क्या करने है, तुम्हे बन्द होना है या पैसे देकर कार्यवाही बन्द करवानी है। इस पर मेरे पिताजी ने हैड साहब से कहा कि आपने पहले भी रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही नहीं करने की कहकर 15,000रूपये ले लिये है, फिर दुबारा पैसे मांग रहे है, हम गरीब आदमी है, बार-बार पैसे कहा तक दे। इस पर हैड साहब ने कहा कि 5,000रूपये दे देना, तुम्हारी कार्यवाही बन्द कर दूंगा, नहीं तो तुम सब जेल जाओगें। मैंने हैड साहब से कहा कि मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, किसी से उधार लेकर दे दूंगा। मैं मेरे जायज काम के लिए श्री शिवलाल हैड साहब को 5,000 रूपये रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ और हैड साहब को रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी उनसे कोई पैसों की लेन-देन बकाया नहीं है, ना ही कोई रंजिश है। अतःप्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवामें उचित कार्यवाही हेतु पेश है"। परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर समय 09.30 एएम पर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा चैक किया जाकर उसमें मैमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB micro SD HC I C10 A1 9321DVCRP14T BL MADE IN CHINA) डालकर परिवादी श्री महावीर सुमन को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिंग करना भलीभांती समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के क्रम में परिवादी श्री महावीर सुमन की आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर से रिश्वत मांग की वार्ता डिजिटल वाईस रिकॉडर में रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को परिवादी के साथ निगरानी हेतु अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से आवश्यक हिदायत देकर पुलिस थाना खानपुर के लिए रवाना किया गया। रवानगी से पूर्व फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.10 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन तथा श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB micro SD HC I C10 A1 9321DVCRP14T BL MADE IN CHINA) पेश किया। परिवादी श्री महावीर सुमन से रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने रूबरू श्री देवदान सिंह कानि. 425 के समक्ष बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं व श्री देवदान सिंह जी अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर खानपुर के पास पहुंचे तभी मेरे पास श्री शिवलाल जी हैड साहब का फोन आया और कहा कि कहां हो मैं तुम्हारे पास ही आ जाता हूँ। इस पर मैंने उन्हे बताया कि हमने नयागांव ठाकरान के पास श्री रमेशचन्द जी नागर खानपुर वाले का खेत जोत रखा है, वहां पर आ जाना, तो हैड साहब ने कहा कि ठीक है, तू वहीं मिलना। इस पर वहां से रवाना होकर मैं व श्री देवदान सिंह जी दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिल से नयागावं ठाकरान के पास श्री रमेशचन्द जी नागर के खेत पर पहुंचे। श्री देवदान सिंह जी ने अपनी मोटर

साईकिल खेड की मेड की आड में खड़ी कर पेड़ के पास खड़े हो गये। कुछ देर बाद सादा कपड़ों में श्री शिवलाल हैड साहब अपनी मोटर साईकिल से हमारे खेत पर आये, जिनको आता देखकर आप द्वारा सुपुर्द शुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मैंने चालू कर लिया था। श्री शिवलाल जी हैड साहब मेरे पास आकर बात करने लगे तो मैंने कहा कि हैड साहब अभी पैसों की व्यवस्था नहीं हुई है, मैंने मेरे जीजाजी से पैसों की कहा था, तो उन्होने एक-दो दिन का नाम लिया है। इस पर हैड साहब ने कहा कि ठीक है, एक दो दिन में कर देना। फिर मैंने कहा कि सीआई साहब तो परेशान नहीं करेंगे ना, तो हैड साहब ने कहा कि तुम्हारा केस तो मेरे पास है, पैसे देते ही खारीज कर दूंगा। फिर मैंने हैड साहब से 5,000रूपये की जगह 4,000रूपये देने के लिए कहा तो वह 4,000रूपये लेने के लिए सहमत हो गये, फिर हैड साहब अपनी मोटर साईकिल से चले गये। मैंने डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द कर अपने पास रख लिया था। श्री देवदान सिंह जी मेड की आड़ में पेड़ के पास छुपकर दूर से हमें देख रहे थे, जो हैड साहब के जाने के बाद वहां से निकलकर मेरे पास आये, जिनको मैंने सारी बात बतायी, उसके बाद नयागांव ठाकरान के पास श्री रमेशचन्द जी नागर के खेत से हम दोनों अपनी-अपनी मोटरसाईकिलों से रवाना होकर एसीबी कार्यालय झालावाड़ आये है। हैड साहब व मेरे बीच हुई सम्पूर्ण वार्तालाप को आप द्वार मुझे सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड हो गयी है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना गया तो, उसमें परिवादी के कथनों की पुष्टि होना पाया गया। परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा पूछताछ के दौरान बताये गये कथनों की निगरानी हेतु हमराह गये श्री देवदान सिंह कानि. से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछताछ करने पर उसने परिवादी के कथनों की ताईद करते हुए बताया कि परिवादी के खेत पर बनी मेड़ के पास पेड़ की आड़ में छुपकर मैं निगरानी कर रहा था, तभी एक व्यक्ति सादा कपड़े पहने मोटर साईकिल लेकर परिवादी के पास आया तथा परिवादी से वार्तालाप कर वापस अपनी मोटरसाईकिल से चला गया था। इस व्यक्ति के जाने के बाद परिवादी ने मुझे सारा घटनाक्रम बताया, उसके बाद हम रवाना होकर एसीबी कार्यालय आ गये। फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा रिश्वत राशि मांग सत्यापन सम्बंधी रिकॉर्डेड डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द शुदा को श्री भोजराज सउनि को बुलाकर सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने में रखने की हिदायत दी गई। परिवादी को एक दो दिन में रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कार्यालय में उपस्थित होने पर स्वतंत्र गवाहान तलब कर उनकी उपस्थिति में डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड वार्ता को ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप में डालकर सुना जाकर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मुर्तिब की जावेगी। परिवादी श्री महावीर सुमन को आरोपी की मांग अनुसार 4,000 रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था कर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर तथा अब तक की गई कार्यवाही की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 09.12.2024 समय 05.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को परिवादी श्री महावीर सुमन ने जरिये मोबाईल कॉल कर अवगत करवाया कि मेरे पास आरोपी की दी जाने वाली रिश्वत राशि के 4,000 रूपये की व्यवस्था हो गई है तथा मेरे पास आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल का फोन भी आया है तथा उन्होने पैसे की व्यवस्था होने के बारे में पूछा तथा दिनांक 10.12.2024 को सुबह मेरे नयागांव ठाकरान के पास स्थित खेत पर ही आने के लिए कहा है। इस पर परिवादी श्री महावीर सुमन को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने रिश्वत राशि के 4,000 रूपये लेकर ट्रेप कार्यवाही हेतु दिनांक 10.12.2024 को प्रातः 08.30 बजे ब्युरो कार्यालय में उपस्थित होने के लिए जरिये मोबाईल वार्तालाप कर पाबन्द किया, जिस पर परिवादी ने समय पर रिश्वत राशि लेकर ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर उपस्थित होने के लिए बताया। दिनांक 10.12.2024 को ट्रेप कार्यवाही की जानी है। अतः दो स्वतंत्र सरकारी गवाहान की तलबी हेतु कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला झालावाड़ के नाम कार्यालय पत्रांक 2258 दिनांक 09.12.2024 मुर्तिब कर श्री देवदान सिंह कानि. 425 को सुपुर्द कर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला झालावाड़ जाकर गवाह को पाबन्द करवाने हेतु रवाना किया गया। समय 05.50 पीएम पर श्री देवदान सिंह कानि. 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला झालावाड़ के श्री चन्द्रप्रकाश मीणा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी परिवहन विभाग झालावाड़ मो.नं. [redacted] व श्री विशाल नागर हाल सहायक प्रोग्रामर परिवहन विभाग झालावाङ मो.नं. [redacted] स्वतंत्र गवाहान का पाबन्द शुदा जिला परिवहन अधिकारी झालावाङ का पत्रांक 1909-10 दिनांक 09.12.2024 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किया, जिसका अवलोकन कर शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10.12.2024 समय 08.40 एएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान कार्यालय में उपस्थित आये, जिनको मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना परिचय देकर उनका नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम चन्द्रप्रकाश मीणा पुत्र श्री बाबूलाल मीणा जाति मीणा उम्र 38 साल निवासी ग्राम भोपान की ढाणी तहसील व पोस्ट बसवा जिला दौसा हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी परिवहन विभाग झालावाङ व दुसरे ने अपना नाम विशाल नागर पुत्र श्री रामहेतार नागर जाति धाकङ उम्र 37 साल निवासी करनवास तहसील खानपुर जिला झालावाङ हाल सहायक प्रोग्रामर परिवहन विभाग झालावाड़ होना बताया। दोनों स्वतंत्र गवाहान को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बंध में अवगत करवाया जाकर बैठाया गया। समय 09.10 एएम पर पाबन्द शुदा परिवादी श्री महावीर सुमन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया व मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि वह अपने साथ रिश्वत में दी जाने रिश्वत राशि

4,000 रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत करवाया कि आरोपी श्री शिवलाल हैड साहब का मेरे पास फोन आया था, कि वह आज मेरे खेत पर 4,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने आ रहे है। इस पर कार्यालय में मौजूद दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी जिला झालावाड़ से परिवादी श्री महावीर सुमन का आपस परिचय करवाकर दिनांक 05.12.2024 को परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत राशि देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढकर सुनाया गया तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु दोनों स्वतंत्र गवाहान से सहमति चाही गई। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढकर व परिवादी से वार्तालाप कर परिवादी द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमती दी। समय 09.30 एएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर की मौजूदगी में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक से मालखाना में सुरक्षित रखे हुए डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को निकलवाया गया, जिसके बारे में दोनों स्वतंत्र गवाहान को समझाया गया कि पूर्व में दिनांक 05.12.2024 को परिवादी श्री महावीर सुमन एवं आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर के मध्य रिश्वत राशि मांग की गोपनीय सत्यापन वार्ता हो चुकी है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड में दिनांक 05.12.2024 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड से उक्त वार्ता को कार्यालय के लेपटॉप में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री महावीर सुमन के समक्ष वार्ता को कार्यालय लेपटॉप के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री महावीर सुमन ने एक आवाज स्वयं की व दूसरी आवाज आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ की होना बताया। वार्ता की हूबहू लेपटॉप से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्तालाप मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 द्वारा तैयार करवाकर फर्द पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 10.20 एएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन ने दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्र प्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर के समक्ष अपने पास से 4,000 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500-500 रूपये के कुल 08 नोट भारतीय मुद्रा के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष पेश किये, जिनके नम्बरों को फर्द पेशकशी में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतंत्र गवाहान को दिखाकर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाने से निकलवाकर मंगवाई जाकर उक्त कानि. को को ही रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा ही 4,000 रूपये रिश्वत राशि के नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा से परिवादी श्री महावीर सुमन की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास पहने हुए कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया गया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि 4,000 रूपये परिवादी श्री महावीर सुमन की पहनी हुई पेन्ट की साईड की दाहिनी जेब में रखवाई गई। परिवादी को हिदायत दी गई कि वह रिश्वत राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाङ (राज0) द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वत राशि उसे देवें। रिश्वत राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े के दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर ले। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात् रिश्वत राशि कहा रखता अथवा छुपाता है का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वत राशि प्राप्त करने पर अपने स्वयं के सिर पर दोनों हाथ फेरकर यक मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों को रिश्वत राशि के लेनदेन होने का पता चल जायें। दोनों स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि. से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयाकर करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। डिस्पोचल गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगूलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर एवं परिवादी श्री महावीर सुमन को दृष्टांत देकर समझाईस की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त नोटों के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अगूंलियों को सोडियम पाउडर के घोल में धूलवाने पर दोनों पाउडर के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर उक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही डिस्पोजल गिलास में दृष्टांत के उपयोग में लिये गये पानी के गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास व फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। कार्यालय में रखे अन्य प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों,

चम्मच, खाली पव्वों, ट्रेप सामग्री कीट इत्यादी को भी साफ पानी व साबून से अच्छी तरह धुलवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। श्री हर्ष कुमार कानि. एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबून से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों की अपनी-अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वयं के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। रिश्वत राशि लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रखरखाव व संचालन की विधि पुनः समझाकर परिवादी श्री महावीर सुमन को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वत राशि नोट एवं दृष्टांत मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधितों ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 10.50 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण होने पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीना मय परिवादी श्री महावीर सुमन, दोनों स्वतंत्र गवान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर तथा ब्यूरो स्टॉफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. 425, श्री शिवराज कानि. 166 मय सरकारी व प्राईवेट वाहनों से चालक श्री छोटूलाल कानि. नं. 534 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप प्रिन्टर के बजानिब खानपुर की और ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने वाले कानिस्टेबल श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में ही छोड़ा गया। समय 11.35 एएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय परिवादी दोनों स्वतंत्र गवाहान व हमराहियान ट्रेप पार्टी के सदस्यगणों के अटरू रोड़ पर खानपुर के नजदीक नयागांव ठाकरान के पास परिवादी व उसके पिताजी द्वारा श्री रमेशचन्द जी नागर का खेत जो पांती से किया हुआ है, के पास वाहनों को रूकवाया गया। आरोपी की स्थिति जानने के लिए परिवादी श्री महावीर सुमन को वाहन से उतारकर उसके मोबाईल से आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल के मोबाईल पर फोन लगवाने के निर्देश दिये गये। इस पर परिवादी ने एक तरफ जाकर आरोपी के मोबाईल पर वार्ता कर वापस आकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मेरी श्री शिवलाल हैड साहब से बात हो गयी है, उन्होने बताया है कि मैं पेशी पर झालावाड़ आ गया हूं। मैं जब भी पेशी से फ्री होऊंगा तुम्हे फोन कर बता दूंगा। इस पर आरोपी के आने का इंतजार करने का निर्णय लिया जाकर परिवादी को पुनः वाहन में बैठाकर वाहन से रवाना होकर वाहनों को नजदीक ही कुछ दूरी पर गोपनीय स्थान पर रूकवाकर मय ट्रेप पार्टी के आरोपी श्री शिवलाल हैड कानि. के मोबाईल कॉल आने के इंतजार मे मुकीम हुआ। समय 06.50 पीएम पर गोपनीय स्थान पर आरोपी श्री शिवलाल हैड कानि. के मोबाईल कॉल के इंतजार में मुकीम शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं जाप्ते के समक्ष परिवादी श्री महावीर सुमन से आरोपी की स्थिति के बारे में पूछा तो उसने बताया कि मैं लगातार एक दो घंटे में हैड साहब को मोबाईल कॉल कर रहा हूं, लेकिन वह मेरे कॉल को नहीं उठा रहे है। रात्रि का समय हो चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि वह अब रूपये लेने कल सुबह ही आयेगें। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा को निर्देश देकर परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये को निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी श्री महावीर सुमन से डीवीआर प्राप्त कर उसको हिदायत दी गई कि जब भी आरोपी का रिश्वत राशि प्राप्त करने हेतु मोबाईल कॉल उसके पास आये तो तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताये तथा आरोपी को रिश्वत देने हेतु आरोपी से कुछ घण्टों की मोहल्लत मांगे, जिससे ट्रेप पार्टी खानपुर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा सके। समय 07.00 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर उसे उसके खेत नयागांव ठाकरान पर ही छोड़कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के साथ लाये प्राईवेट व सरकारी दोनों वाहनों से नयागांव ठाकरान (खानपुर) से रवाना होकर समय 07.45 पीएम पर एसीबी कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा के पास लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये को लिफाफा सहित श्री भोजराज सउनि को दिलवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने व आवश्यकता पड़ने पर जरिये मोबाईल सुचित करने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। समय 08.05 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन ने जरिये मोबाईल कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि अभी-अभी कुछ समय पहले श्री शिवलाल जी हैड साहब थाने की गाड़ी से मेरे खेत पर आये थे। गाड़ी की ऊपर की बत्ती जली हुई थी, जिसको देखकर मैंने सोचा कि इनको मेरे ऊपर शक हो गया है और मुझे पकड़ने आये है। इस पर मैं खेत पर बनी झोपडी के पीछे से निकलकर अन्धेरे में दूर चला गया था, उनके जाने के बाद मैं वापस खेत में बनी झोपडी पर वापस आया तो मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि शिवलाल जी हैड साहब आये थे, जिन्होने तेरे बारे में पूछा था, तो मैंने उनको तेरे बारे में दूसरे गांव किसी कार्य से जाना बता दिया था, जिस पर वह वापस चले गये थे। मुझे शक है कि श्री शिवलाल हैड साहब सुबह जल्दी रिश्वत राशि लेने आयेगें। इसलिए आप लोग जल्दी मेरे खेत पर आ जाना। मैं यही इंतजार करूंगा। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जाप्ते को एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुबह जल्दी चलने के लिए पाबन्द करवाया गया। दिनांक 11.12.2024 समय 09.00 एएम पर पाबन्द शुदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर कार्यालय में उपस्थित

आये, जिनको हालात से अवगत करवाया गया। श्री भोजराज सउनि को निर्देश देकर मालखाने में रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये लिफाफा सहित स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा के पास सुरक्षित रखवाई गई। समय 09.05 एएम पर ट्रेप कार्यवाही हेतु मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगराम मीणा, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री भोजराज सउनि, श्री मोहम्मद आफाक सउनि, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री देवदान सिंह कानि. 425, श्री शिवराज कानि. 166 मय सरकारी व प्राईवटे वाहनों से चालक श्री छोटूलाल कानि. नं. 534 मय ट्रेप बॉक्स, डीवीआर, लेपटॉप, प्रिन्टर के बजानिब खानपुर की और परिवादी श्री महावीर सुमन के बताये अनुसार उसके खेत के लिए ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ तथा कार्यालय में श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को छोड़ा गया। समय 09.50 एएम पर कार्यालय से रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ट्रेप पार्टी के परिवादी श्री महावीर सुमन के नयागांव ठाकरान अटरू रोड स्थित खेत के पास रोड पर रूका। जहां पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी वाहनों को देखकर खेत में स्थित झोपडी से निकलकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आया, जिससे आरोपी श्री शिवलाल हैड कानि. के बारे में पूछने पर उसने बताया कि अभी ना तो श्री शिव लाल जी हैड साहन आये है, ना ही उनका अभी कोई कॉल आया है। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा के पास रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये लिफाफे में से निकलवाकर उसके द्वारा ही परिवादी की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाई गई तथा साबुन पानी मंगवाकर स्वतंत्र गवाह, परिवादी व ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथों को धुलवाया गया। परिवादी श्री महावीर सुमन को डीवीआर सुपुर्द कर श्री भोजराज सउनि, श्री देवदान सिंह कानि., श्री शिवराज कानि., श्री चन्द्रप्रकाश मीणा स्वतंत्र गवाह को हिदायत कर परिवादी की खेत में बनी झोपडी पर ही छुपकर रूकने के निर्देश देकर तथा आरोपी के आने व रिश्वत राशि ग्रहण करने पर जरिये मोबाईल मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को तुरन्त अवगत कराने की हिदायत कर बाकी जाप्ते व गवाहान को साथ लेकर गोपनीय स्थान के लिए रवाना हुआ। समय 07.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी व जाब्ते से मोबाईल कॉल कर आरोपी के स्थिति के बारे में पूछा तो उन्होने आरोपी का खेत पर आना नहीं बताया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाकी ट्रेप पार्टी को साथ लेकर गोपनीय स्थान से सरकारी व प्राईवेट वाहन से परिवादी के खेत के लिए रवाना हुआ। समय 07.40 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक परिवादी के खेत के सामने रोड पर रूका, मोबाईल कॉल कर परिवादी एवं जाब्ते को बुलाया तो, परिवादी ने बताया कि मैंने अपने मोबाईल से श्री शिवलाल हैड साहब को कई बार कॉल किया तो उन्होने मेरा कॉल नहीं उठाया, फिर मैंने मेरे पिताजी के मोबाईल से कॉल किया तो उन्होने दूसरी बार में कॉल उठाया। इस पर मैंने श्री शिव लाल हैड साहब से कहा कि मैं महावीर सुमन बोल रहा हूं। मैंने अपने मोबाईल से आपको कई बार कॉल किया, परन्तु आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, यह मेरे पिताजी का मोबाईल है। इस पर वह जानबूझकर कहने लगे कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि मैं मेरे मोबाईल से आपको कॉल करता हूं। इस पर शिवलाल हैड साहन बोले कि क्या काम है, तू तो रहने दे मत कर कॉल और फोन काट दिया। बाद में फिर मैंने उनको मेरे व मेरे पिताजी के मोबाईल से कई बार कॉल किया मगर उन्होने नहीं उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को उन्होने मुझे झोपडी से निकलकर जाते हुए देख लिया है, जिसके बारे में उन्होने मेरे पिताजी से भी पूछा था कि वह कौन जा रहा है, जिस पर मेरे पिताजी ने उनसे कहा था, वह तो खेत में पानी पिलाने वाला है । मुझे ऐसा लगता है कि उनका मेरे ऊपर शक हो सकता है। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा को निर्देश देकर परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये को निकलवाकर एक लिफाफे में रखवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाई गई। परिवादी श्री महावीर सुमन को दी हुई डीवीआर प्राप्त कर हिदायत दी गई कि हो सकता है आरोपी बाद में मौका देखकर कल की तरह रिश्वत लेने आ जाये या मोबाईल कॉल आये तो कुछ बहाना बनाकर तुरन्त मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर बताना तथा आरोपी को रिश्वत देने हेतु आरोपी से कुछ घण्टों की मोहलत मांग लेना, जिससे ट्रेप पार्टी खानपुर पहुंचकर आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछा सके। समय 07.50 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर वहीं छोड़कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान दोनों स्तवंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के साथ लाये प्राईवेट व सरकारी वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 08.40 पीएम पर परिवादी के खेत नयागांव ठाकरान (खानपुर) से रवाना शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमराहियान दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं एसीबी जाप्ते के प्राईवेट व सरकारी वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ पहुंचा। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश देकर स्वतंत्र गवाह श्री चन्द्रप्रकाश मीणा के पास लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 4,000 रूपये को लिफाफा सहित श्री भोजराज सउनि को दिलवाकर मालखाने में सुरक्षित रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने व आवश्यकता पड़ने पर जरिये मोबाईल सूचित करने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया। एसीबी जाप्ते को भी मामले की गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत दी गई। परिवादी श्री महावीर सुमन का मोबाईल कॉल आने या कार्यालय में उपस्थित होने पर मामले कि स्थिति अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 20.01.2025 समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया। परिवादी ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष एक लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया कि "मेरे द्वारा श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला

झालावाड़ को ट्रेप करवाने हेतु प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 10.12.2024 को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 4,000 रूपये लेकर में एसीबी कार्यालय में उपस्थित आया था व आपको रिश्वत राशि के 4,000 रूपये दिये थे। श्री शिवलाल हैड साहब को किसी प्रकार शक हो जाने से ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी और अब श्री शिवलाल हैड साहब मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हैड साहब मुझसे अब रिश्वत की राशि नहीं लेगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरे द्वारा श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कार्यालय में दिनांक 10.12.2024 को पेश की गई राशि चार हजार रूपये मुझे वापस लौटाने की कृपा करें"। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री महावीर सुमन ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। चूंकि परिवादी के बताये अनुसार अब ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं होने से परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पूर्व में कार्यालय में पेश की गई राशि चार हजार रूपये को वापस परिवादी को लौटाया जाना है। अतः कार्यवाही में पूर्व से पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर को कार्यालय में उपस्थि होने हेतु जरिये मोबाईल सूचित किया गया। समय 04.00 पीएम पर तलविदा दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर कार्यालय में उपस्थित आये। दोनों स्वतंत्र गवाहान को परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा पेश किये गये प्रार्थना पत्र को पढकर सुनाया गया। दोनों स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा पेश किये प्रार्थना पत्र को पढकर उस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 04.40 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर कार्यालय में उपस्थित है, उक्त गवाहान के समक्ष दिनांक 05.12.2024 को परिवादी श्री महावीर सुमन एवं आरोपी श्री शिव लाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ के मध्य आपस में रिश्वत की मांग से सम्बंधित वार्ता हुई थी, जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 10.12.2024 को समय 09.30 एएम पर तैयार की गई थी। उक्त वार्ता कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मैमोरी कार्ड में रिकॉर्डेड थी। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय लेपटॉप में लगाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री पवन कुमार कानि. नं. 28 के द्वारा लेपटॉप में डीवीडियां लगाकर ब्रन कराकर चार क्लोनिंग डीवीडी तैयार करवाई गई। चारों डीवीडीयां एवं मेमोरी कार्ड की हेस वेल्यू निकाली गई तो समान पायी गयी। तैयार शुदा चारों डीवीडीयों में से एक डीवीडी आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल के लिये, एक डीवीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक डीवीडी माननीय न्यायालय हेतु कपडे की थैली में अलग-अलग रखकर तीन डीवीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक डीवीडी अनुसंधान अधिकारी के सुनने हेतु तैयार कर अनसील्ड रखी गयी। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे हुए मेमोरी कार्ड (SanDisk Ultra 16GB micro SD HC I C10 A1 9321DVCRP14T BL MADE IN CHINA) में रिकॉर्ड की गई थी, उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर वजह सबूत माननीय न्यायालय हेतु पृथक से एक कपडे की थैली में रखकर शिल्ड चीट किया गया। फर्द डबिंग एवं जब्ती डीवीडी मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 05.30 पीएम पर उपरोक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा ट्रेप कार्यवाही विरूद्ध श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ के क्रम में एसीबी झालावाड़ में दिनांक 10.12.2024 को पेश किये गये 500-500 के 08 नोट कुल 4,000 रूपये को दिनांक 20.01.2025 को परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा इस आशय के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की मेरे द्वारा श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ को ट्रेप करवाने हेतु प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 10.12.2024 को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 4,000 रूपये लेकर मैं एसीबी कार्यालय में उपस्थित आया था व आपको रिश्वत राशि के 4,000 रूपये दिये थे। श्री शिवलाल हैड साहब को किसी प्रकार शक हो जाने से ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो सकी और अब श्री शिवलाल हैड साहब मुझसे बात नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हैड साहब मुझसे अब रिश्वत की राशि नहीं लेगा। अतः श्रीमान से निवदेन है कि मेरे द्वारा श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही करवाने हेतु कार्यालय में दिनांक 10.12.2024 को पेश की गई राशि चार हजार रूपये मुझे वापस लौटाने की कृपा करें। परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा कार्यालय में जमा राशि चार हजार रूपये वापस चाहने हेतु प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करने पर उसके द्वारा कार्यालय एसीबी झालावाड़ में दिनांक 10.12.2024 को पेश की गई राशि 500-500 रूपये के 08 नोट कुल चार हजार रूपये श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक द्वारा मालखाने से निकलवाकर उन नोटो पर लगे फिनोफ्थलीन पाउडर को अच्छी तरह साफ करवाकर नियमानुसार परिवादी श्री महावीर सुमन को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष वापस लौटाये गये। कार्यवाही की फर्द सुपुर्दगी नोट पृथक से नियमानुसार मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों को पढकर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सभी ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 05.50 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन तथा दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री चन्द्रप्रकाश मीणा व श्री विशाल नागर को बाद कार्यवाही रूखसत किया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 05.12.2024 को परिवादी श्री महावीर सुमन ने कार्यालय में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पेश किया था। परिवादी श्री महावीर सुमन के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित शिकायत का सत्यापन उसी दिन ब्यूरो को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को परिवादी श्री महावीर सुमन के साथ नयागांव ठाकरान (खानपुर) भिजवाकर करवाया गया तो परिवादी द्वारा पूर्व में ब्यूरो कार्यालय में पेश प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की तथा परिवादी श्री महावीर सुमन द्वारा आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल से निवेदन करने पर उसके विरूद्ध थाने में दर्ज शिकायत को बन्द करने की

एवज में 4,000 रूपये रिश्वत राशि लेने की सहमति देने की पुष्टि हुई। इस पर दिनांक 10.12.2024 को ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, लेकिन आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल के झालावाड़ न्यायालय में पेशी होने व ड्यूटी में व्यस्त होने के कारण आरोपी द्वारा परिवादी से सम्पर्क नहीं किया गया। उसी दिन रात्रि को परिवादी श्री महावीर सुमन ने जरिये मोबाईल कॉल कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अवगत करवाया कि अभी-अभी कुछ समय पहले श्री शिवलाल हैड साहब थाने की गाडी से मेरे खेत पर आये थे। गाडी की ऊपर की बती जली हुई थी, जिसको देखकर मैंने सोचा कि इनको मेरे ऊपर शक हो गया है और मुझे पकड़ने आये है। इस पर मैं खेत पर बनी झोपडी के पीछे से निकल कर अन्धेरे में दूर चला गया था। उनके जाने के बाद मैं वापस खेत में बनी झोपडी पर वापस आया तो मुझे मेरे पिताजी ने बताया कि शिवलाल जी हैड साहब आये थे, जिन्होने तेरे बारे में पूछा था तो मैंने उनको तेरे बारे में दूसरे गांव किसी कार्य से जाना बता दिया था, जिस पर वह वापस चले गये थे। इस पर दिनांक 11.12.2024 को ट्रेप कार्यवाही सम्भावना होने के कारण दिनांक 11.12.2024 को पुनः ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया गया, परन्तु आरोपी का काफी इन्तजार करने के उपरान्त भी आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने परिवादी के खेत पर नही आया। परिवादी से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पूछने पर उसने बताया कि मैंने अपने मोबाईल से श्री शिवलाल हैड साहब को कई बार कॉल किया तो उन्होने मेरा कॉल नहीं उठाया, फिर मैंने मेरे पिताजी के मोबाईल से कॉल किया तो उन्होने दूसरी बार में कॉल उठाया, इस पर मैंने श्री शिवलाल हैड साहब से कहा कि मैं महावीर सुमन बोल रहा हूँ, मैंने अपने मोबाईल से आपको कई बार कॉल किया, परन्तु आपने मेरा कॉल नहीं उठाया, ये मेरे पिताजी का मोबाईल है, इस पर वह जानबूझकर कहने लगे कि आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने कहा कि मैं मेरे मोबाईल से आपको कॉल करता हूँ, इस पर शिवलाल हैड साहब बोले कि क्या काम है तू तो रहने दे मत कर कॉल और फोन काट दिया, बाद में फिर मैंने उनको मेरे व मेरे पिताजी के मोबाईल से कई बार कॉल किया मगर उन्होने नहीं उठाया। मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को उन्होने मुझे झोपडी से निकल कर जाते हुए देख लिया है, जिसके बारे में उन्होने मेरे पिताजी से भी पूछा था कि कौन जा रहा है, जिस पर मेरे पिताजी ने उनसे कहा था वह तो खेत में पानी पिलाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरे ऊपर शक हो सकता है। दिनांक 20.01.2025 को समय 03.30 पीएम पर परिवादी श्री महावीर सुमन कार्यालय में उपस्थित आया तथा बताया कि श्री शिवलाल हैड साहब मेरा फोन नहीं उठा रहा मुझे लगता है, उन्हें मेरे ऊपर शंका हो गई, कि मैं उनकी ट्रेप कार्यवाही करवा सकता हूँ, इसलिए वह मेरे से बात नहीं कर रहे है, ना ही मुझसे रूपये मांग रहे है। अब ट्रेप कार्यवाही होने की सम्भावना नहीं है। ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने के कारण परिवादी द्वारा ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गई राशि वापस लौटाने बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने हेतु जरिये मोबाईल पूर्व में पाबन्द शुदा स्वतंत्र गवाहान श्री चन्द्रप्रकाश मीणा सहायक प्रशासनिक अधिकारी व श्री विशाल नागर सहायक प्रोग्रामर को कार्यालय में बुलाकर परिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र पढ़ाकर हस्ताक्षर करवाये गये। दोनों स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष रिश्वत मांग सत्यापन की फर्द क्लोनिंग व जब्ती डीवीडी एवं मेमोरी कार्ड तैयार करवाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा श्री भोजराज सहायक उप निरीक्षक को निर्देशित कर परिवादी द्वारा पूर्व में ट्रेप कार्यवाही हेतु पेश की गयी रिश्वत राशि 4,000 रूपये जो ब्यूरो कार्यालय के मालखाने में सुरक्षित रखवायी गयी, को निकलवाकर नोट को फटकार कर पाउडर हटाकर परिवादी श्री महावीर सुमन को सुपुर्द कर लौटाये गये, जिसकी फर्द सुपुर्दगी रिश्वत राशि तैयार करवाकर फर्द पर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 05.12.2024 को परिवादी श्री महावीर सुमन व आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल थाना खानपुर जिला झालावाड़ के मध्य हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में परिवादी को सीआई साहब द्वारा परेशान नहीं करने व शिकायत पर आगे कार्यवाही नहीं करने के सम्बंध में वार्ता करने पर आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल द्वारा कहा गया कि 'नहीं करे ना, वह तो मेरे पास है ना केस तो यह, मैं अभी थोडी आगे बढा रहा हूँ, इसके' परिवादी 'हां तो' आरोपी 'आगे नहीं बढाऊंगा इसको वही खारीज कर दूंगा' परिवादी के रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करते हुए '5 हजार रूपये को 4 ही रहने दो ना' कहने पर आरोपी '4 रहने दे, क्या' परिवादी '4 हजार रहने दे, क्या कहूं' आरोपी 'तू तो रहने दे पर तेरी स्थिति देख ली ना, यह तेरा खेत है क्या' परिवादी 'नहीं' आरोपी 'नहीं तो फिर कम 4 रहने दे, पर दे दे बार-बार ठीक नहीं होता' परिवादी 'वहां किसी की शादी थी तो न्यौता आया था, मैंने सोचा भाई, यह कहेगे की नहीं आया' आरोपी '4 हजार, तू कह रहा है, वही कर दे' कहकर अपनी सहमति देता है, जिसकी पुष्टि फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से होती है। इस प्रकार आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल द्वारा परिवादी श्री महावीर सुमन के खिलाफ थाने पर दर्ज रिपोर्ट पर कार्यवाही बन्द करने के नाम पर 5,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी के निवेदन करने पर 4,000 रूपये लेने की सहमति देना, जो फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से साबित होती है। परन्तु किसी प्रकार आरोपी को परिवादी पर शक हो जाने के कारण परिवादी से रिश्वत राशि 4,000 रूपये प्राप्त नहीं की गई। आरोपी श्री शिवलाल हैड कानिस्टेबल का उक्त कृत्य 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट तैयार कर कार्यालय पत्रांक 78 दिनांक 21.01.2025 द्वारा श्री उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा रेंज कोटा के मार्फत ब्यूरो मुख्यालय प्रकरण दर्ज करने की अनुंशषा के साथ भिजवायी गयी, जिस पर ब्यूरो मुख्यालय के आदेश क्रमांक 1897-98 दिनांक 10.02.2025

द्वारा आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया गया है। अतः आरोपी श्री शिवलाल मीणा पुत्र श्री अमरलाल जाति मीणा उम्र 59 साल निवासी ग्राम खजुरीकलां थाना असनावर जिला झालावाड़ तत्कालीन हैड कानिस्टेबल नम्बर 883 पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल सेवानिवृत के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया जाने पर उक्त आरोपी के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक सी0पी0एस0 भ्रनिब्यूरो, जयपुर को सादर प्रेषित है। भवदीय, (जगराम मीना) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।........... कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री जगराम मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झालावाड़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री शिवलाल मीणा पुत्र श्री अमरलाल जाति मीणा उम्र 59 साल निवासी ग्राम खजुरीकलां थाना असनावर जिला झालावाड़ तत्कालीन हैड कानिस्टेबल नम्बर 883 पुलिस थाना खानपुर जिला झालावाड़ हाल सेवानिवृत के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द,उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 410 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 223-26 दिनांक 24-02-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा। 2- पुलिस अधीक्षक, जिला झालावाड । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PREM CHAND MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 2[illegible]2/2025 1[illegible]6

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	20/08/1965				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)